निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या :24/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. मुकेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
2. बद्रीनारायण पुत्र लादू

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम पातलवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस.
2. कल्याण पुत्र रामनाथ
3. सियाराम पुत्र कन्हैयालाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पातलवास, तहसील आंधी जिला जयपुर ग्रामीण ।

4. गिर्राज पुत्र नामालुम निवासी ग्राम दण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 125/2022 ब उनवानी मुकेश बनाम कल्याण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.10.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 125/2022 ब उनवानी मुकेश बनाम कल्याण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. वहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया दिनांक 16.01.2023 को विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस की गई। दोराने बहस सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) के पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा ने खुले न्यायालय में ही यह एलानिया रूप से कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र बाबत मेरे उपर राजनैतिक दबाव है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र में मेरे द्वारा पूर्व में पारित किया गया एक पक्षीय आदेश निरस्त करना मेरी मजबूरी है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से उसका स्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार किये जाने की घोषणा खुले न्यायालय में किये जाने से प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं बची है एवं पीठासीन अधिकारी उक्त प्रार्थना पत्र पर जबरन ही पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करना चाहते है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी प्रकार की न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। इसलिए प्रार्थी के वाद को अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरण कराने के लिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ । अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं उसके भाईयों ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष एक वाद संख्या 123/2013 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वर्ष 2013 से ले रखी है। उक्त प्रार्थना पत्र को एनकेन प्रकारेण विलम्ब कर चलाते आ रहे है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अपना जबाब दावा एवं जबाब टी आई प्रार्थना पत्र पेश करा दिया है, उसके उपरारान्त भी मनघढन्त प्रार्थना पत्र लगा कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में बहस नहीं होने देते है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस हेतु पाबन्द किया जाता है तभी झूंठे आक्षेप लगाते हुए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर देते है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र झूंठे एवं मनघढन्त तथ्यों पर आधारित होने से पूर्णतया खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वर्ष 2013 से प्राप्त कर रखी है और प्रार्थीगण ने ही पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण की प्रकरण के निम्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। प्रार्थीगण ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मे न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)